

पासपोर्ट नं. / Passport No.

IND

24273103

उपनाम / Surname

SHAH

दिया गया नाम / Given Name(s)

TEJAS SURESHBHAI

राष्ट्रीयता / Nationality

पिंज / Sex

ਅੰਤਰਿਕਸ਼ / Date of Birth

भारतीय / INDIAN

M

29/03/1971

जन्म स्थान / Place of Birth

BHARUCH, GUJARAT

जारी करने का स्थान / Place of Issue

SURAT

जारी करने की तिथि / Date of Issue

समाप्ति की तिथि / Date of Expiry

23/06/2017

22/06/2027

[illegible]

विविध सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

EMIGRATION CHECK REQUIRED

Parent / Parent's Address / Name of Father / Legal Guardian

Z4273103

SURESHBHAI NATHALAL SHAH

माता का नाम / Name of Mother

HEMLATA SURESHBHAI SHAH

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

SAPNA TEJAS SHAH

पत्ता / Address

D3 ARPAN APARTMENT

NANPURA, SURAT CITY

PIN: 395001, GUJARAT, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

L2997208

29/07/2013

SURAT

SU1071188809817

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



अभय ए. चुरी/Abhay A. Churi
पासपोर्ट अधिकारी/P.O.
पासपोर्ट कार्यालय, सुरत.
Passport Office, Surat.

पासपोर्ट PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA



पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुप्त हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पृष्ठताड के बाद ही डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.